

09.16.05.17

अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष अनुपस्थित है। द्वितीय पक्ष के द्वारा s/c हेतु समय की मांग की गई है।

उक्त वाद में प्रथम पक्ष काफी लंबे समय से न्यायालय में अनुपस्थित है। ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त वाद में कोई अग्रिम नहीं है। वर्तमान वाद की समाप्ति 6 माह समाप्त हो चुकी है। अतः वाद की कार्टवाइ समाप्त की जाती है।

16/05/17

22

09

13